देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या 132 / भू अ० दिनांक : 13/2/19

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–खसपेका, थाना–देवघर, थाना सं०–621, अंचलः–देवघर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **चांदडीह–तिलौना पथ भाया सिमरा, खसपेका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद, कथारी पथ का पुनर्निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–खसपेका, थाना–देवघर, थाना सं०–621, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **1.07 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	1398	रैयती	बाड़ी–2	0.13	शिवकांत झा वो उमाकांत झा पे० इन्दनारायण झा वो विनोद झा पे० स्व० अखिलानन्द झा वो उमाकांत झा पे० स्व० नित्यानंद झा वो शोभा देवी पति स्व० आन्दानन्द झा वो मातगी देव्या पति स्व० महानंद झा वो निशिकांत झा वो उदयकांत झा पे० स्व० त्रिपुरारी झा वो बलराम झा वो कृष्णानन्द झा वो मृत्युंजय झा वो महादेव झा वो नागेश्वर झा पे० स्व० मंगलानन्द झा अंश समान।	अर्जित दाग का अंश	अर्जित दाग का अंश एवं मौजा धावाटांड़, 369	मौजा, रघुवाडीह, 625	मौजा धावाटांड 369
2	13/ख	416	रैयती	बाड़ी–2	0.26	मनोज रमानी वो सनोज रमानी वो महेश रमानी पे० स्व० चनकु रमानी वो गिरधारी रमानी पे० स्व० किशोर रमानी वो नकुल रमानी पे० स्व० भगली रमानी वो रविन्द्र रमानी वो देवो रमानी पे० स्व० माखो रमानी वो अशोक रमानी पे० स्व० डहरू रमानी वो मेघु रमानी पे० स्व० महेन्द्र रमानी वो जमुना रमानी पे० स्व० बासो रमानी वो चतुर रमानी वो शम्भु रमानी वो नवीन रमानी वो बालेश्वर रमानी पे० स्व० भिखो रमानी। अंश समान सा० देह।				
3	29	1390	रैयती	बाड़ी–2	0.02	मंगल मंडल पे० स्व० अकलू मंडल वो कलावती देवी पति स्व० अर्जून मंडल वो देवानन्द मंडल वो सूरज कुमार मंडल पे० स्व० भूमि मंडल वो मसुदन मंडल पे० स्व० रामदयाल मंडल। अंश समान सा० देह।				
4	13/क	1393	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				

08-02-2019

5	30/क	1388	रैयती	बाड़ी–2	0.18	मसुदन मंडल पे० रामदयाल मंडल वो देवानन्द मंडल वो सूरज मंडल पे० भीम मंडल वो कलावती देवी पति स्व० अर्जून मंडल। अंश समान सा० देह।				
6	30/क	1387	रैयती	बाड़ी–2	0.14	कामदेव प्र० वर्मा पे० स्व० लीधु महतो वो प्रभा देव्या पति स्व० जयंत कुमार वो अंग्रेज वर्मा पे० स्व० गांगु महतो वो शारदा देवी पति स्व० अर्जून महतो उर्फ वर्मा वो सरस्वती देवी पति स्व० श्रीकांत वर्मा वो जयप्रकाश वर्मा पे० स्व० विमल महतो। अंश समान सा० देह।				
7	35	1389	रैयती	बाड़ी–2	0.02	भरत मंडल वो शंकर मंडल वो मृत्युंजय मंडल पे० स्व० जगु मंडल। अंश समान सा० देह।				
8	35	1395	रैयती	बाड़ी–2	0.02	राजेन्द्र मंडल वो गिरिश मंडल वो कामदेव मंडल पे० स्व० दासो मंडल वो सीताराम मंडल वो बलराम मंडल वो पलटन मंडल पे० स्व० हासो मंडल अंश समान सा० देह।				
9	50	1391	रैयती	धानी–3	0.04	भुषण मंडल पे० स्व० झारू मंडल वो सुमित्र देवी पति स्व० शोभी मंडल। अंश समाना सा० देह।				
10	57	1392	रैयती	धानी–3	0.02	कारू मंडल वो लक्ष्मी मंडल पे० स्व० कानोह मंडल वो अमीन मंडल वो गोविन्द मंडल वो अयोध्या मंडल पे० स्व० कोल्ही मंडल वो कुकन मंडल वो नन्हकू मंडल पे० स्व० मोहर मंडल वो मसुदन मंडल वो योगेश्वर मंडल पे० स्व० श्यामलाल मंडल वो सुधीर मंडल वो नन्दकिशोर मंडल पे० स्व० टहलू मंडल वो धरम मंडल वो करम मंडल वो वकिल मंडल वो जमाहर मंडल पे० स्व० टीपन मंडल वो रामेश्वर मंडल पे० स्व० लक्ष्मण मंडल वो चादरी मंडल पे० स्व० पुरण मंडल वो परिवर्तन मंडल वो दामोदर मंडल वो मुंशी पे० स्व० रूपन मंडल अंश समान।				
11		1382	रैयती	–	0.10	मुस्तवहा।				
12		1375	रैयती	–	0.10	मुस्तवहा।				
13		1394	रैयती	–	0.02	मुस्तवहा।				
				कुल रकवा–	**1.07**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित

yel 08-02-2019

निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर 01/02/19

अपर समाहर्त्ता
देवघर 08-02-2019

8/2/19
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक ....132..... / भू अ०, देवघर, दिनांक 13/2/19..........

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर 01/2/19

अपर समाहर्त्ता
देवघर 08-02-2019

8/2/19
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।